समाचार.प्रकाषनार्थरू.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों सभी जुट जायें.श्री झारिया

रतलाम 01 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम को उच्चतम रैंकिग प्राप्त हो इस हेतु सर्वेक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त किये जाने हेतु तेजी से कार्य किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारीए वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक ली।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम को उच्चतम रैंकिग दिलाने हेतु सभी को मिलकर सभी मापदण्डों में तेजी से कार्य करना है। उन्होने निर्देषित किया कि रतलाम को 5 स्टार रैंकिगए ओडीएफ ++ए प्रेरक दौड़ में प्लेटिनम के के साथ ही वॉटर + में भी क्वालीफाय करना है।

बैठक में उन्होने निर्देषित किया कि स्वच्छता में प्रत्येक वार्ड नम्बर 1 बने यह नियुक्त पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी इस हेतु वे अपने.अपने वार्ड की नियमित रूप से मॉनीटरिंग कर स्वच्छता संबंधी कार्य पूर्ण करावें।

इसके अलावा उन्होने बैठक में निर्देषित किया कि स्वच्छता संकल्प माह फरवरी में प्राप्त कैलैण्डर के तहत स्वच्छता ऐपए सीएडडी अपषिश्ट संग्रहण सुविधाऐंए प्लास्टिक प्रतिबंधए उपभोक्ता प्रभारए प्रसंस्करण केन्द्रों का संधारण एवं रख रखाव के तहत कार्य करना सुनिष्चित करें।

षहर के नाले.नालियों.जल स्त्रोतों की सफाई हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने तीन दिवस में कार्य योजना बनाने व सोमवार से कार्य प्रारंभ करने के निर्देष दिये। साथ ही उन्होने निर्देषित किया कि स्वच्छता ऐप में प्राप्त षिकायतों का निराकरण 12 घन्टे के स्थान पर 10 घन्टें में करें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से षहर मंे गंदगी होती है इस हेतु 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक

पर प्रतिबंध लगाना आवष्यक है इसलिये इनके विक्रय व उपयोग पर रोक लगाई जाये। प्रथम चरण में विक्रेताओं पर जुर्माना किया जाये इसके बाद विक्रय किया जाता है तो 7 फरवरी से संबंधित की दुकानें सील करने की कार्यवाही की जाये।
आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देषित किया कि अपने घरों से निकलने वाले गीले कचरे से घर पर ही मटके या बाल्टी में जैविक खाद बनाना प्रारंभ करें व इसके फोटो व्हाट्स ऐप ग्रुप में अपलोड करें।
बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ षेखए स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीण्केण जायसवालए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए प्रभारी सहायक यंत्री सर्वश्री एमण्केण जैनए अरविन्द दषोत्तरए एसण्पीण आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री बीण्एलण चौधरीए श्री राजेष पाटीदारए श्री ब्रजेष कुषवाहए श्री मनीश तिवारीए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया सहित नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

नगर निगम के विभिन्न करों से 8ण्68 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 01 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 29 जनवरी षनिवार को कुल राषि रूपये 17ए23ए958ध् का राजस्व प्राप्त हुआ।
नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 01 फरवरी मंगलवार को संपत्तिकर षिविर से 123281ए कार्यालय 209164ए वसूली दल 141914 कुल 474359ए जलकर षिविर 39170ए वसूली दल 49310ए कार्यालय 49460 कुल 137940ए कम्पाउडिंग 118834ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 61833 व वसूली दल 19927 कुल 81760ए लायसेंस 9385ए विकास षाखा लीजरेंट 360ए प्रीमियम 23493 बगैर मास्क वालो पर स्पॉट

फाईन 1600ए गंदगी करने पर 20750 इस तरह कुल राषि रूपये 8ए68ए121ध् का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

रतलाम 01 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

धानमण्डी में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 60ण्91 लाख व जलकर 13ण्19 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 01 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822रू व जलकर 54ए850रू.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575रू व जलकर 34ए520रू.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013रू व जलकर 63ए450रू.ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292रू व जलकर 1ए19ए720रू.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857रू व जलकर 62ए950रू.ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977रू व जलकर 28ए870रू.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000रू व जलकर 14ए000रू.ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600रू व जलकर 1ए04ए640रू.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206रू व जलकर 1ए21ए090रू.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000रू व जलकर 47ए000रू.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422रू व जलकर 83ए700रू.ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500रू व जलकर 27ए540रू.ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281रू व जलकर 40ए240रू.ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000रू व जलकर 31ए760रू.ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077रू व जलकर 72ए440रू.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534रू व जलकर 37ए465रू.ए कल्याण नगर षिविर

में संपत्तिकर 87ए732६ **व जलकर** 36ए660६ए **दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए91ए455६ **व जलकर** 92ए125६ए **बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर** 4ए97ए298६ **व जलकर** 64ए770६ए **रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर** 1ए59ए241६ **व जलकर** 28ए140६ए **लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर** 6ए11ए920६ **व जलकर** 1ए56ए600६ए **धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर** 1ए23ए281६ **व जलकर** 39ए170६ **की राषि जमा कराई।**

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 48 **व** 49 **के लिये** 1 **से** 3 **फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी**ए **वार्ड क्रमांक** 40 **व** 41 **के लिये** 4 **से** 5 **फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज**ए **वार्ड क्रमांक** 28ए 29ए 36ए 37 **व** 38 **के लिये** 7 **से** 8 **फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी**ए **वार्ड क्रमांक** 28 **के लिये** 9 **फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास**ए **वार्ड क्रमांक** 22 **के लिये** 10 **फरवरी को महावीर नगर**ए **वार्ड क्रमांक** 39ए 40 **व** 41 **के लिये** 11 **से** 12 **फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा**ए **वार्ड क्रमांक** 25ए 26 **व** 27 **के लिये** 14 **फरवरी को चौगानिया भेरू**ए **वार्ड क्रमांक** 24ए 25 **व** 42 **के लिये** 15 **व** 16 **फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतरा**ए **वार्ड क्रमांक** 43 **व** 45 **के लिये** 17 **व** 19 **फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास**ए **वार्ड क्रमांक** 41 **के लिये** 21 **से** 22 **फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरी**ए **वार्ड क्रमांक** 33ए 34 **व** 35 **के लिये** 23 **व** 24 **फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास**ए **वार्ड क्रमांक** 33 **व** 34 **के लिये** 25ए 26 **व** 28 **फरवरी को दो बत्ती चौराहा**ए **वार्ड क्रमांक** 30ए 31ए 32 **व** 34 **के लिये** 1 **से** 3 **मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।**

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

9205 **पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन**

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 01 फरवरी । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 01 फरवरी तक 9205 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 92 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

01 फरवरी को 82 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 01 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 01 फरवरी मंगलवार को 82 टन कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

01 फरवरी मंगलवार को डम्पर से 42600ए टेª क्टर से 11045ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 16445 व काम्पेक्टर गीला कचरा 11950 किलो इस तरह कुल 82040 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2751 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 01 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश

अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2560 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 191 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 101 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 01 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 01 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 01 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो

पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 01 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निशठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध01ण02ण2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण